भारतीय सिनेमा आकर्षण कोष (Indian Cinema Attraction Fund - ICAF) से सम्बन्धित दिशा-निर्देश

इस प्रोग्राम के बारे में

/ Film Victoria का *Indian Cinema Attraction Fund (ICAF)* भारत से footloose स्क्रीन प्रौजेक्ट्स आकर्षित करने के लिए ग्रांट्स (अनुदान) की पेशकश करता है ताकि विक्टोरिया में production या प्रोडक्शन और post-production, दोनों, काम किए जाएँ।

हम क्या चाहते हैं?

/ ऐसे स्क्रीन प्रौजेक्ट्स जो:

- विक्टोरिया में production, या प्रोडक्शन और post-production, दोनों, काम करें
- भारत में भारतीय सिनेमा के दर्शकों को मेलबोर्न और विक्टोरिया के दर्शन कराएँ
- विक्टोरियाई स्क्रीन के औद्योगिक पेशवरों के लिए कौशल विकास के अवसरों में वृद्धि करें और साथ ही भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों पर ध्यान केन्द्रित करें
- विक्टोरियाई लोगों को रोज़गार दे और विक्टोरियाई व्यापारों को सम्मिलित करे।

कौन पात्र है?

/ यह ज़रूरी है कि आवेदक:

- एक:
  - भारतीय प्रोडक्शन कम्पनी या स्टुडियो हो, या
  - ऑस्ट्रेलिया Special Purpose Vehicle (SPV) हो जिसका स्वामित्व किसी भारतीय कम्पनी के पास हो।
- ने कम से कम 10 feature फीचर (फिल्मों का निर्माण किया हो, जिनमें से प्रत्येक भारत में कम से कम 1000 स्क्रीनों पर लगी हों (इनमें से कम से कम एक पिछले पांच साल में रिलीज़ हुई होनी चाहिए)
- के पास प्रौजेक्ट का निर्माण करने और chain of title (प्रौजेक्ट के स्वामित्व) की पुष्टि करने का अधिकार हो।

कौन से प्रौजेक्ट्स इसके लिए पात्र हैं?

/ पात्र होने के लिए, यह ज़रूरी है कि प्रौजेक्ट्स:

- feature film हों
- यह दर्शाते हों कि विक्टोरिया में अनुमोदित प्रोडक्शन तत्वों पर कम से कम A$700,000 का खर्च किया जाएगा ('आप किस काम के लिए फंडिंग प्राप्त कर सकते हैं?' का अनुभाग नीचे देखें)
- के पास एक ऐसा पुष्टिकृत distribution का प्रमाण हो (हस्ताक्षरित अनुबंध के साथ) जो भारत में कम से कम 1000 स्क्रीनों पर theatrically (थिएटर) रूप से प्रौजेक्ट को रिलीज करे
- उस स्थिति में पूरी तरह से वित्त-पोषित हो, जहाँ ICAF ग्रांट finance plan (वित्तीय योजना) का भाग न हो
- के पास एक ऐसा बजट हो जिसमें विक्टोरियाई प्रोडक्शन कार्य में शामिल ऑस्ट्रेलियाई स्क्रीन औद्योगिक पेशवरों के लिए न्यूनतम ऑस्ट्रेलियाई औद्योगिक अवॉर्ड रेट्स शामिल हो
- कुछ ऐसे स्क्रीन औद्योदिक पेशेवरों को रोज़गार दे जो Victorian residents (विक्टोरिया के निवासी) हों
- मामला दर मामला के आधार पर, Film Victoria मुख्य भारतीय प्रसारकों या SVOD प्रदाताओं के लिए निर्माण की गई फीचर फिल्मों या फिक्शन सीरिज़ के लिए आवेदनों पर ग़ौर कर सकती है

- यह ज़रूरी है कि आवेदन औपचारिक रूप से pre-production (प्री-प्रोडक्शन) काम शुरू किए जाने से पहले जमा कराए जाएँ और अनुमोदित किए जाएँ।

कौन पात्र नहीं है?

/ निम्नलिखित ICAF ग्रांट के लिए पात्र नहीं हैं:

- Infotainment, रियेलिटी और मैगज़ीन शो
- अलग-अलग कार्यक्रम और light entertainment (हल्का मनोरंजन)
- खेलकूद और सामयिक घटनाओं के कार्यक्रम
- टेलीविज़न विज्ञापन
- Short films (<60मिनट)
- कम्युनिटी टेलीविज़न
- स्टुडेंट फिल्म
- ऐसे प्रौजेक्ट जिन्हें पहले से ही Film Victoria से कोई अन्य फंडिंग मिल चुकी हो।

आप किन कार्यों के लिए फंडिंग प्राप्त कर सकते हैं?

/ ICAF ग्रांट का हिसाब प्रौजेक्ट पर खर्च हुए Qualifying Victorian Expenditure के प्रतिशत के अनुसार लगाया जाता है, इसमें शामिल है:

- विक्टोरिया में प्रौजेक्ट से जुड़े सामान या सेवाओं के लिए विक्टोरियाई स्क्रीन पेशेवरों, निवासियों, या कम्पनियों को किए गए भुगतान
- प्रौजेक्ट में सम्मिलित किसी विक्टोरियाई निवासी के संबंध में वेतन और खर्च या व्यय किए गए खर्च
- ऐसे स्क्रीन औद्योगिक पेशवरों द्वारा विक्टोरिया में भुगतान की गई प्रतिदिन के, आवासीय और परिवहन संबंधी खर्च या व्यय किए गए खर्च जो विक्टोरियाई निवासी न हों, पर जो प्रौजेक्ट के प्रोडक्शन के संबंध में विक्टोरिया में निर्माता को अपनी सेवाएँ प्रदान करते हों
- ऑस्ट्रेलिया में प्रौजेक्ट के प्रोडक्शन से जुड़ी सभी फ्लाइट्स जिन्हें किसी विक्टोरियाई ट्रेवल एजेंट से खरीदा गया हो।

/ Qualifying Victorian Expenditure की संपूर्ण व्याख्या यहाँ पाई जा सकती है।

आप कितनी राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं?

/ प्रौजेक्ट के Qualifying Victorian Expenditure के 25% तक की ग्रांट

- ऐसे प्रौजेक्ट को विक्टोरिया के लिए महत्वपूर्ण उपयोगिता दर्शाते हों, वे Production Incentive Attraction Fund (PIAF) Committee's के द्वारा निर्णय लिए जाने के आधार पर 25% से अधिक प्राप्त करने के पात्र हो सकते हैं।

/ आवेदकों के लिए यह ज़रूरी है कि वे आवेदन जमा कराने से पहले फंडिंग संबंधी अपने निवेदनों की चर्चा Film Victoria से करें।

इस प्रोग्राम के बारे में आप किससे बात कर सकते हैं?

/ आपको आवेदन करने से पहले Film Victoria के साथ अपनी पात्रता की चर्चा करनी चाहिए।

/ कृपया निम्नलिखित ICAF@film.vic.gov.au पर भेजें या चर्चा करने के लिए+61 3 9660 3215 पर फोन करें

- आपके प्रस्तावित प्रौजेक्ट के विवरण, इसमें यह पुष्टि शामिल है कि प्रौजेक्ट पूरी तरह से वित्त-पोषित है और इसमें भारत में कम से कम 1000 सिनेमा सैशन में वितरण की पुष्टि की गई है
- भारत में कम से कम 1000 सिनेमा सैशन में प्रदर्शित फीचर फिल्मों पर निर्माता, कार्यकारी निर्माता या प्रोडक्शन कम्पनी के तौर पर अपनी 10 पुराने क्रेडिट्स सूचीबद्ध करें। ने

विवरण

आपके आवेदन करने के बाद क्या होता है?

/ आपके आवेदन का आकलन PIAF Committee द्वारा किया जाएगा जो निम्नलिखित ***आकलन मानदण्ड*** सहित अन्य मामलों पर ध्यान देगी:

- production और post-production पर Qualifying Victorian Expenditure का प्रस्तावित स्तर
- प्रौजेक्ट पर प्रतिबद्ध भारतीय theatrical distribution का स्तर
- कौशल विकास अवसरों की संख्या (placements और attachments) जिन्हें भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए प्रौजेक्ट में शामिल विक्टोरियाई स्क्रीन औद्योगिक पेशेवरों को प्रदान किया जा सकता है
- आवेदक का ट्रैक रिकॉर्ड
- यह कि प्रौजेक्ट किस प्रकार Film Victoria की मान्यताओं और प्रतिष्ठा के साथ संरेखित है। Film Victoria ऐसी सामग्री का समर्थन नहीं करेगी जो आयु, जातीयता, राष्ट्रीयता, जाति, लिंग, यौन प्राथमिकता, धर्म या शारीरिक या मानसिक विकलाँगता के आधार पर अपमानजनक होती है
- प्रौजेक्ट के finance plan की व्यवहार्यता
- प्रौजेक्ट और विक्टोरिया में इसके प्रोडक्शन के अन्य पहलु जो PIAF Committee को ICAF प्रोग्राम के उद्देश्यों के प्रासंगिक लगते हैं।

/ कमेटी निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए आवेदकों को प्राथमिकता देगी:

- विक्टोरियाई स्क्रीन औद्योगिक पेशेवरों के लिए रोज़गार अवसरों की संख्या
- विक्टोरिया को मिलने वाले पर्यटन संबंधी लाभ।

/ फंडिंग प्रतिस्पर्धात्मक होती है और फैसले ICAF के फंड्स और विक्टोरिया के लिए प्रौजेक्ट की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए लिए जाएँगे।

फैसला करने में कितना समय लगेगा?

/ PIAF Committee आम-तौर पर आवेदन जमा कराए जाने के चार से छः सप्ताह के बीच संपूर्ण आवेदनों का आकलन करती है।

/ यदि आपके पात्र प्रौजेक्ट पर समय सीमाएँ लागू हैं, तो आपको अपना आवेदन जमा कराने से पहले इनकी चर्चा ICAF@film.vic.gov.au पर ई-मेल करके हमसे करनी चाहिए।

यदि आपको फंडिंग मिलती है तो क्या होता है?

/ फंडिंग ग्रांट के रूप में प्रदान की जाती है

/ सफल आवेदकों से कम से कम एक above the line placement (लाइन से ऊपर की प्लेसमेंट) और कई below the line attachments (लाइन से नीचे के अटैचमेंट) के लिए ट्रेनिंग अवसरों की मेज़बानी करने की उम्मीद की जाती है (Film Victoria द्वारा पूरा भुगतान किया जाता है)

/ सफल आवेदकों से यह उम्मीद की जाती है कि वे एक ऑस्ट्रेलियाई कम्पनी या SPV का निर्माण करें जो Film Victoria के साथ मानक अनुबंध में प्रवेश करेगी

/ किसी पात्र आवेदन की ओर से प्रोडक्शन सेवाएँ प्रदान करने वाली ऑस्ट्रेलियाई कम्पनियों के लिए यह ज़रूरी होगा कि वे प्रोडक्शन सेवा अनुबंध की प्रति प्रदान करें (यदि लागू हो तो)

/ ICAF ग्रांट की शर्तों और नियमों में सामान्यत: निम्नलिखित शामिल होती हैं:

- ग्रांट प्राप्त करने के लिए यह ज़रूरी है कि प्रौजेक्ट को सहमत Qualifying Victorian Expenditure मिलना चाहिए
- Film Victoria को प्रौजेक्ट में श्रेय दिया जाना चाहिए
- आवेदक के लिए यह ज़रूरी है कि वह प्रचार और मीडिया अवसरों में विक्टोरिया और विक्टोरियाई सरकार की सहायता करे ताकि विक्टोरिया में प्रौजेक्ट की प्रोडक्शन गतिविधि का प्रसार किया जा सके

- प्रोडक्शन पूरी होने पर Film Victoria को प्रदान किए जाने वाले प्रदेयों का विवरण (मानक प्रदेयों की पूरी सूची के लिए यहाँ क्लिक करें)।

/ ICAF ग्रांट्स का भुगतान सामान्यत: तीन इंस्टॉलमेंट्स में किया जाता है:

- प्रौजेक्ट के अंतिम श्रेय में Film Victoria की स्वीकृति पर (मास्टरिंग से पहले) और प्रौजेक्ट के rough cut की स्वीकृति पर 10%
- फोटो स्टिल्स, प्रेस किट, EPK, अभिनेता वर्ग और कर्मचारी सूची, और ट्रेलर की सुपुर्दगी पर 10%
- सभी प्रदेयों की प्राप्ति पर 80%, इसमें लेखा-परीक्षण की गई व्यय रिपोर्ट (जिसे किसी ऐसे स्वतंत्र योग्य ऑडिटर ने पूरा किया हो जो Chartered Accountants Australia & New Zealand या CPA Australia का सदस्य हो), प्रेषण प्रश्नावली, कीमत संबंधी रिपोर्ट्स, शेड्यूल और प्रौजेक्ट की एक प्रति शामिल है।

/ Film Victoria के पास उस परिस्थिति में किसी इंस्टॉलमेंट की राशि को रोक कर रखने या बदलने का अधिकार होता है जब कोई ज़रूरत पूरी नहीं की जाती है, इसमें शामिल है:

- सहमत Qualifying Victorian Expenditure पर पहुँचना
- विक्टोरियाई निवासियों या कम्पनियों को शेष भुगतान नहीं किए गए हैं
- प्रदेयों की सुपुर्दगी।

/ ICAF आवेदन और अनुमोदित ग्रांट्स वाणिज्यिक रूप से गोपनीय होते हैं और आवेदकों को गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए। Film Victoria पहले से प्राप्त अनुमति के बिना जमा कराए गए आवेदनों और प्रौजेक्टों के विवरण रिलीज नहीं करेगी।

यदि आपको फंडिंग नहीं मिलती है तो क्या होता है?

/ यदि आपका आवेदन सफल नहीं होता है, तो हम इसकी जानकारी देने के लिए आपसे संपर्क करेंगे।

/ इस चरण पर, आप अपने आवेदन पर प्रतिक्रिया के लिए हमें संपर्क करना चाह सकते हैं।

आवेदन करने के लिए आपको किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत है?

/ आवेदन फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा कराए जाने चाहिए:

- निवेदन पत्र, जिसमें शामिल है:
    - निवेदन किया गया प्रलोभन
    - आवेदन कम्पनी और अधिकार धारण कम्पनी से सम्बन्धित पृष्ठभूमि (आवेदक कम्पनी क्रेडिट्स के प्रमाण सहित)
    - प्रौजेक्ट की वित्तीय संरचना
    - भारत में वितरण प्रबंधों से सम्बन्धित सूचना, स्क्रीनों की संख्या सहित
    - प्रोडक्शन में प्रयोग किए जाने वाले प्रस्तावित विक्टोरियाई स्थानों की पहचान, साथ ही किन्हीं post-production/ VFX सुविधा-केन्द्रों की पहचान यदि लागू हो तो
- SPV के लिए ASIC वर्तमान कम्पनी उद्धरण (यदि पहले से बना हो)
- Finance plan (वित्तीय योजना) का प्रमाण कि प्रौजेक्ट पूरी तरह से वित्त-पोषित है
- निवेशकों और उनके वित्तीय समर्थन के प्रयोजन या वचनबद्ध स्तर का प्रमाण
- पूरी तरह से निष्पादित वितरण अनुबंध, एक स्थापित वितरक के साथ जिसका प्रमाणित ट्रेक रिकॉर्ड हो जो:
    - यह पुष्टि करता हो कि प्रौजेक्ट भारत में कम से कम 1000 स्क्रीनों पर वितरित किया जाएगा; और
    - आवेदन जमा कराने की दिनांक से छ: महीने के बाद का न हो।
- निर्माण बजट का विश्लेषण, जो यह दर्शाता हो कि विक्टोरिया में न्यूनतम A$700,000 Qualifying Victorian Expenditure पर खर्च किए जाएँगे
    - बजट में यह दर्शाया जाना चाहिए कि विक्टोरियाई प्रोडक्शन कार्य में शामिल ऑस्ट्रेलियाई स्क्रीन औद्योगिक पेशेवरों को कम से कम न्यूनतम ऑस्ट्रेलियाई औद्योगिक अवॉर्ड रेट्स के आधार पर रोज़गार दिया जाएगा
- प्रोडक्शन शेड्यूल जो विक्टोरिया में प्रयोजित फिल्मिंग दिनांकों को विशिष्ट रूप से दर्शाता हो

- स्क्रिप्ट (अंग्रेज़ी में)
- प्रोडक्शन कम्पनी, मुख्य अभिनेता वर्ग, कर्मचारी और heads of department (विभाग के प्रमुख)
- Chain of title / प्रौजेक्ट स्वामित्व दस्तावेज़, इसमें शामिल है:
    - यह प्रमाण कि आवेदक प्रौजेक्ट का निर्माण करने के लिए सभी आवश्यक अधिकारों का धारक है (इसमें स्क्रिप्ट में अंतर्निहित अधिकार शामिल हैं)।

आपके आवेदन में किस चीज़ से सहायता मिलेगी?

/ इन दिशा-निर्देशों को अच्छी तरह पढें और अपनी पात्रता की जांच करें। हरे रंग में अंडरलाइन किए गए शब्द Film Victoria की वेबसाइट पर उपलब्ध शब्दावली में आते हैं

/ ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की समीक्षा करें

/ सुनिश्चित करें कि आपका आवेदन ***आकलन मानदण्ड*** को ध्यान में रखता है

/ सुनिश्चित करें कि आपके पास ऑनलाइन आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ जमा कराए जाने के लिए उपलब्ध हैं।

क्या आप अपना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए तैयार हैं?

अपना आवेदन शुरू करें